राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर

अज अदालत RAA मुकाम अलवर

दुर्गी बनाम गिर्राज

किस्म मुकदमा .... अपील नं. /21 .... सन

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्श जज	नम्बर... जो इ...
7/1/21	पत्रावली बाद जांच रिपोर्ट पेश हुई। रिपोर्ट सरिश्ता का अवलोकन किया गया। अपील अंतरिम आदेश के खिलाफ पेश की गई है। अतः दर्ज रजि० की जावे। हमारे द्वारा रिपोर्ट सरिश्ता का अवलोकन किया गया। रिपोर्ट से जाहिर आया कि प्रस्तुत अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी थानागाजी प्रकरण सं. $\frac{2}{94}$ रजू दिनांक 21/9/2020 उनमान- गिर्राज बनाम सरकार में आदेश दिनांक 6/11/20 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। इस आदेशिका दिनांक 6/11/20 के अनुसार अप्रार्थीगण को जरिये अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से आगामी दिनांक 11/12/20 तक प्रतिबंधित किया गया है। अतः अप्रार्थीगण को जरिये अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से आगामी दिनांक 11/12/20 तक प्रतिबंधित किया जाता है।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्श जज	नम्बर जो इ
	कि वे विवादित हाल आराजी ख० नं० 423 रकबा 2.49 हैक्टेयर वाके ग्राम भुडियावास तह० थानागाजी के रिकार्ड एंव मौके की यथास्थिती बनाये रखे। इससे स्पस्ट है। कि अपील अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के विरूद्ध पेश की गई है। माननीय राजस्व मण्डल राज० अजमेर के रिवीजन/LR/9867/2012/NAGAUR की पूर्ण पीठ में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है। कि राजस्व अपील प्राधिकारी को आगामी तारीख पेशी तक जारी अस्थाई अंतरिम निषेधाज्ञा के सुनवाई का श्रवण अधिकार नहीं है। अत: अपील एडमीशन स्तर पर खारिज की जाती है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।	